

यह प्रमाण पत्र तहसीलदार/नायब
तहसीलदार सौंसर के जांच प्रतिवेदन
के आधार पर जारी किया गया है

(निर्देश दिनांक 12.3.1997 की कंडिका क्र. 8 (2) देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग - सौंसर, जिला - छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक प्रकरण क्र. 2151/B-121/2008-2009 प्रमाण-पत्र क्र. 1

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सौंसर
जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिंकी

पुत्र/पुत्री श्री गंगाधर ठाकरे

निवासी ग्राम/शहर इगारी तहसील सौंसर/बिछुआ जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश के

निवासी है, जो कुनबी जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश शासन,

आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-5-पच्चीस-4-84,

दिनांक 26 दिसम्बर, 1984, पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 23-4-97-चौवन, दिनांक 2

अप्रैल, 1997 तथा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं द्वारा अधिमान्य किया गया है और जो सूची के

क्रमांक 39 पर अंकित है।

श्री/कुमारी/श्रीमती पिंकी ठाकरे और / या उनका

परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला छिन्दवाड़ा संभाग जबलपुर में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री गंगाधर ठाकरे क्रीमीलेयर

(सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते है, जिसका उल्लेख मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के

ज्ञापन क्रमांक एफ. 7-26-93-1-आ.प्र., दिनांक 8 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के

कॉलम (3) में किया गया है।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी गंगाधर ठाकरे

के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये लगभग 50,000/- है।

कालम नं.-2 की जानकारी

केवल छः माह हेतु है।

दिनांक 7.19.09

(सील)



प्रमाणीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
अनुविभागीय अधिकारी
5 सौंसर